मैसर्स शेखर होटल्स गुलमोहर एनक्लेव एवं अन्य

बनाम

उत्तरप्रदेश राज्य एवं अन्य

[सिविल अपील संख्या- 3505, 2008]

12 मई, 2008

[न्यायाधिपति ए.के. माथुर और अल्तमस कबीर]

भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894- धारा 17 (4) सपठित धारा 5 ए- भूमि अधिग्रहण- धारा 5 ए के तहत आवश्यकताओं को पूरा करना- का औचित्य- अभिनिर्धारित: मामले के तथ्यों में, धारा 17 (4) सपठित धारा 5 ए का आह्वान अनुबद्ध है- धारा 5 ए आह्वान किसी गुप्त उद्देश्य या शक्ति के मनमाने प्रयोग के लिये नहीं था।

अपिलार्थीगण की भूमि का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम **1894** के तहत धारा **5** ए की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अधिग्रहित की गई थी। अपिलार्थी ने रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि धारा **5** ए को लागू करने की शीघ्रता उचित थी एवं भूमि के अधिग्रहण के लिए जारी अधिसूचनाओं में कोई खामी नहीं थी, इसलिए वर्तमान अपील खारिज कर कोर्ट ने माना कि-

1. भूमि अधिग्रहण अधिनिम **1894** की धारा **5** ए के तहत आपत्ति दर्ज करने का अधिकार एक मूल्यवान अधिकार है और सरकार को धारा **5** ए से छूट देने की खाली छूट नहीं है। धारा **5** ए राज्य द्वारा शक्तियों के मनमाने प्रयोग के विरुद्ध केवल एक सुरक्षा उपाय है, परन्तु किसी को भी इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं

करना चाहिए कि इस तरह के प्रावधानों को लागू करना कभी-कभी अनिवार्य भी होता है क्योंकि स्थिति की तात्कालिता को पूरा करने के लिए इसे सार्वजनिक हित में लागू करने की आवश्यकता होती है। कभी-कभी यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं होता, और राज्य पदाधिकारी कभी-कभी अति उत्साह के कारण इस प्रावधान को लागू कर सकते हैं, जो लोगों के हितों को गम्भीर रूप से खतरे में डालता है। अतः यह मामले दर मामले निर्भर करता है कि जहां दी गई परिस्थितियों में धारा **5** ए को सही तरीके से लागू किया गया है और प्राधिकारी वस्तुनिष्ठ तरीके से संतुष्ट है **(**पैरा-**4) (278-**ए-डी**)**

2. वर्तमान मामले में अधिनियम की धारा **17(4)** सपठित धारा **5** ए का आह्वान उचित था और उच्च न्यायालय की डीविजन बैंच द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास गति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए धारा **5** ए का आह्वान अनिवार्य हो गया है। यातायात संकुलन सभी के लिए एक सामान्य अनुभव है और दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के यातायात संकुलन से सुलझना बहुत मुश्किल है, इसलिए वर्तमान स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा **5** ए का प्रयोग गुप्त उद्देश्य के लिए एवं शक्ति का मनमाना प्रयोग था। चूंकि मास्टर प्लान पहले ही तैयार हो चुका है और इसे योजना बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है तथा उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर के विकास एवं राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने के लिए राशि स्वीकृत कर दी है। अतः प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से मंजूरी दे दी गई है और अंततः सरकार ने आपत्तियों को दूर करते हुए अधिनियम की धारा **5** ए सपठित धारा **17(4)** के तहत शक्ति का प्रयोग किया। **[**पैरा **4** और **5] [280-**डी, **278-**डीजी**]**[1][2]

---

1. राजस्थान हाउसिंग बोर्ड एवं अन्य बनाम श्री किशन एवं अन्य 1993 (2) एस.सी. 84

2. भारत संघ एवं अन्य बनाम प्रवीण गुप्ता एवं अन्य 1997 (9) एस.सी.सी. 78

निर्णय प्रख्यात[3]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3505/2008

सी.एम.डब्ल्यू.पी. संख्या 65687/2006 में इलाहबाद उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय दिनांक 06-12-2006 से।

अपीलार्थीगण की ओर से आर.के. खन्ना, नीरज डी गौड़, पीयूष शर्मा, एस.एस.नेहरा और डॉ.आई.बी. गौड़

प्रत्यर्थीगण की ओर से शैल कुमार द्विवेदी, सहायक महान्यायवादी (ए.ए.जी.), सुबोध मार्कंडेय, जी शेषगिरी राव, चित्रा मार्कंडेय, कमलेंन्द्र मिश्रा, आरोही भल्ला और गुन्नम वैंकटेश्वर राव।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति ए.के.माथुर द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी गई।
2. यह अपील इलाहबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 06-12-2006 के विरूद्ध निर्देशित है, जिसमें उच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम (बाद में 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 4(1) सपठित धारा 17(1) और 17(4) के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 15-06-2006 और अधिनियम की धारा 6 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19-10-2006 की पुष्टि की। प्रतिवादी-बुलंदशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण, बुलंदशहर की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष एक प्रारम्भिक आपत्ति उठाई गई थी कि अपीलार्थीगण के

3. भारत संघ एवं अन्य बनाम मुकेश हंस 2004 (8) एस.सी.सी. 14

आग्रह पर रिट याचिका पोषणीय नहीं है और दूसरा यह तर्क दिया कि रिट याचिका अधिनियम की धारा 5 ए के आह्वान को चुनौती देने के की मूल दलील से रहित थी।

3. पहला प्रश्न जो उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया, वह यह था कि अधिनियम की धारा 5 ए की आवश्यकता को समाप्त करना मनमाना था। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ का इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का उल्लेख करने उपरांत यह विचार था कि धारा 5 ए को लागू करने के लिए दिखाई गई तत्परता उचित थी क्योंकि यातायात संकुलन को दूर करने के लिए यह आवश्यक था। यह भी पाया गया कि रिट याचिका में निहित तर्क और दलीलों के बीच कोई संबंध नहीं था। उच्च न्यायालय ने पाया कि विवादित अधिसूचनाओं में कोई खामी नहीं थी। अतः यह अपील विशेष अनुमित याचिका प्रदान करने की है।

4. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया। इससे पहले कि हम मुख्य मुद्दे पर बात करें, कुछ तथ्यों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। प्रतिवादी संख्या 3-बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण, बुलंदशहर (बाद में इसे विकास प्राधिकरण के रूप में संदर्भित किया जाएगा) ने 3.5.2002 को आयोजित अपनी 25 वीं बोर्ड बैठक में वर्तमान स्थल पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 से सटा "ट्रांसपोर्ट नगर" स्थापित करने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड (बाद में इसे 'बोर्ड' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की क्षेत्रीय योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 को चार

लेन सड़क बनाने का प्रस्ताव है। पेपर-बुक में वर्णित भूखंडों में से भूखंड क्रमांक 424, 424-एम, 430, 443, 449-एम और 492 दिनांक 10.7.2006 की अधिसूचना के तहत अधिग्रहण के अधीन नहीं हैं। प्लॉट नंबर 428-एम को दिनांक 5.12.2003 के विक्रय विलेख द्वारा मेसर्स एलाइड कन्स्ट्रक्शंस द्वारा खरीदा गया था, प्लॉट नंबर 429 को कृष्ण कुमार पुत्र शंकर लाल ने विक्रय पत्र दिनांक 18.9.2003 द्वारा खरीदा था, प्लॉट नंबर 442 को श्रीमती आशा द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 18.9.2003 के तहत खरीदा गया। प्लॉट नंबर 430 को विपुल कौशिक और विनय कौशिक दोनों नाबालिगों ने खरीदा था। प्लॉट नंबर 449 को चंद्रशेखर, नरेश कुमार और किशन कुमार ने 18.9.2002 के विक्रय पत्र के तहत खरीदा था और प्लॉट नंबर 450 को दो विक्रय पत्र दिनांक 18.9.2003 और 12.2.2004 के तहत उन्हीं क्रेताओं द्वारा खरीदा गया था। यही स्थिति प्लॉट नंबर 478 को लेकर भी थी। यह तर्क दिया गया कि ये सभी भूखंड ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने के लिए बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद खरीदे गए थे। मैसर्स शेखर होटल्स या श्री चन्द्रशेखर शर्मा, जो यह अपीलकर्ता है, के नाम पर कोई भी प्लॉट दर्ज नहीं किया गया था। इसलिए, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थीगण की ओर से एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी कि रिट याचिका रिट याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता के आग्रह अनुसार पोषणीय नहीं थी, जो भूखंड के मालिक नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 5 ए के तहत आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते। यह भी बताया गया कि उ.प्र. शहरी नियोजन और

विकास अधिनियम, 1973 (बाद में इसे 'विकास अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) कुछ क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से 12.6.1973 को लागू हुआ था। विकास अधिनियम के तहत एक मास्टर प्लान तैयार किया गया और उसका प्रकाशन कर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किये गये। इसके बाद मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया गया। उक्त मास्टर प्लान में यह क्षेत्र ट्रांसपोर्ट नगर के लिए चिन्हित किया गया था। वर्तमान में राज्य सड़क परिवहन बस टर्मिनल घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है और वास्तव में यातायात संकुलन है। मास्टर प्लान में दिल्ली-खुरेजा और शिकारपुरा सड़कों पर ट्रांसपोर्ट नगर नए बस स्टैंड का निर्माण और सड़कों के चौड़ीकरण के साथ-साथ सभी यातायात समस्याओं को कम करने के उद्देश्य से एकीकृत योजना के लिए 501.58 हेक्टेयर भूमि के कुल क्षेत्रफल के अधिग्रहण पर विचार किया गया। ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड (बाद में इसे 'बोर्ड' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) ने विकास प्राधिकरण को 20.65 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया, मुकदमेबाजी की वजह से यह आगे नहीं बढ़ सका और बोर्ड को भारी ब्याज उठाना पड़ा। यह भी तर्क दिया गया कि 17.42 करोड़ रुपये का मुआवजा पहले ही खर्च किया जा चुका है। यह भी बताया गया कि संसद ने दिनांक 9.2.1985 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम (1985 का अधिनयम 11) लागू कर दिया है। इस अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए सामान्य योजना प्रदान करना है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य का

जिला बुलन्दशहर भी शामिल है। 1985 का यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 256 के तहत हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के प्रस्तावों द्वारा पारित किया गया था। इसलिए, राजधानी क्षेत्र के उक्त क्षेत्र के विकास के लिए एक कॉर्पोरेट निकाय का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय शहरी विकास मंत्री और हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल इसके सदस्यों के रूप में होंगे। इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए ऐसी परियोजना शुरू की गई है और इस योजना निकाय ने पहले ही उपर्युक्त राशि मंजूर कर दी है। इस अभ्यास के अनुसरण में आपत्ति दर्ज करने के लिए अधिनियम की धारा 5-ए की आवश्यकता को समाप्त करते हुए उपर्युक्त अधिसूचना जारी की गई थी क्योंकि यातायात की समस्या को कम करने और राष्ट्रीय स्तर पर यातायात को सुचारू बनाने की तत्काल आवश्यकता थी। इसलिए, अधिनियम की धारा 5-ए को समाप्त कर दिया गया। अपीलार्थीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान स्थिति में अधिनियम की धारा 5-ए के प्रावधान से छूट देना उचित नहीं था और इसमें मस्तिष्क का उचित प्रयोग नहीं किया गया था। इसके समर्थन में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय के एक निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।[4] इसके विपरीत, प्रतिवादिगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने हमारा

4भारत संघ एवं अन्य बनाम मुकेश हंस[(2004) 8 एस सी सी 14)]

ध्यान इस न्यायालय के एक निर्णय की ओर आकर्षित किया।[56] इस तथ्य में कोई दो राय नहीं है कि धारा 5-ए के तहत आपत्ति दर्ज करने का अधिकार एक मूल्यवान अधिकार है और सरकारों को धारा 5-ए से छूट देने की खुली छूट नहीं है। धारा 5-ए राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने प्रयोग के खिलाफ केवल एक सुरक्षा है। लेकिन किसी को भी इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि इस तरह के प्रावधान को लागू करना कभी-कभी अनिवार्य भी होता है क्योंकि स्थिति की तात्कालिकता को पूरा करने के लिए इसे सार्वजनिक हित में लागू करने की आवश्यकता होती है। यह मामले दर मामले पर निर्भर करता है। कभी-कभी यह आवश्यक नहीं हो सकता और राज्य पदाधिकारी कभी-कभी अत्यधिक ईर्ष्या के कारण इस प्रावधान को लागू कर सकते हैं जो लोगों के हितों को गंभीर रूप से खतरे में डाल देगा। इसलिए, यह मामले-दर-मामले पर निर्भर करता है कि किसी दी गई स्थिति में धारा 5-ए को सही ढंग से लागू किया गया है और अधिकारी वस्तुनिष्ठ तरीके से संतुष्ट हैं। वर्तमान मामले में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है, इसलिए गति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए, धारा 5-ए का प्रयोग अनिवार्य हो गया है। यातायात संकुलन हर किसी का एक सामान्य अनुभव है और दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यातायात संकुलन से निपटना बहुत मुश्किल है। इसलिए, वर्तमान स्थिति में, यह नहीं कहा जा

5राजस्थान हाउसिंग बोर्ड एवं अन्य बनाम श्री किशन एवं अन्य[(1993) 2SCC 85

6भारत संघ और अन्य बनाम प्रवीण गुप्ता और अन्य [(1997) 9SCC 78]

सकता है कि धारा 5-ए का आह्वान गुप्त उद्देश्य के लिए था या शक्ति का मनमाना प्रयोग था। चूंकि मास्टर प्लान पहले ही तैयार हो चुका है और इसे योजना बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है और उन्होंने इस ट्रांसपोर्ट नगर के विकास और राष्ट्रीय उच्च संख्या 91 को चार लेन में चौड़ा करने के लिए 20.65 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसलिए, प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा मंजूरी दे दी गई और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से मंजूरी मिल गई और अंततः सरकार ने अधिनियम की धारा 5-ए सपाठित धारा 17 (4) के तहत शक्ति का इस्तेमाल करते हुए इस शर्त को समाप्त कर दिया। इन तथ्यों के प्रकाश में यह नहीं कहा जा सकता कि शक्ति का प्रयोग किसी भी तरह से अनुचित था। यातायात संकुलन कम करने की आवश्यकता है और वास्तव में समय की सख्त जरूरत है की इसे बड़े पैमाने पर जितनी जल्दी लागू किया जाए, उतना लोगों के लिए बेहतर होगा। एच इस संबंध में अपीलार्थीगण के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय के फैसले पर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है कि धारा 5-ए खाली औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविक अधिकार है जिसे केवल अच्छे और वैध कारण से और अधिनियम की धारा 17 (4) के तहत निर्धारित सीमाओं के भीतर ही छीना जा सकता है।[7] लेकिन वर्तमान मामले में अधिसूचना को इस तथ्य पर रद्द कर दिया गया था कि कोई भी सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई थी और दूसरा यह भी माना गया था कि भूमि

7भारत संघ और अन्य (सुप्रा)

की कमी के कारण त्योहार को बंद करना और भूमि के उपयोग में कोई बाधा नहीं थी। यह भी बताया गया कि पहले इस तरह के त्योहार आयोजित करने के लिए इसी उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण करने का प्रयास किया गया था और समय की बर्बादी के कारण इसे समाप्त होने दिया गया और परिणामस्वरूप न्यायालय ने पाया कि किसी दी गई परीस्थिति में धारा 17(4) को लागू करने की आवश्यकता का फाइल में कोई संदर्भ नहीं था। माननीय न्यायाधिपति ने माना कि अधिनियम की धारा 17(4) का आह्वान अधिकारियों द्वारा विवेक का प्रयोग न करने के कारण दूषित हो गया था। इसलिए, इस मामले का निर्णय तथ्य के प्रश्न पर किया गया। इसके विपरीत, प्रतिवादिगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा तत्काल आवश्यकता में यातायात संकुलन को मान्यता दी गई है।[8] इस मामले में, पुरानी दिल्ली के चारदीवारी वाले शहर से लकड़ी के कारोबार को स्थानांतरित करने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था क्योंकि यह यातायात संकुलन का स्रोत बन गया था। इसलिए, सार्वजनिक उद्देश्य यानी टिम्बर डिपो की स्थापना के लिए संबंधित भूमि का अधिग्रहण करके भीड़भाड़ से राहत पाने के लिए इसे मौजूदा स्थान से तत्काल स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी। उस संदर्भ में, माननीय न्यायाधिपति का आधिपत्य इस प्रकार था:

"चूंकि अधिग्रहण लकड़ी के कारोबार को चारदीवारी से शहर के बाहरी इलाके में स्थानांतरित करने के लिए है, इसलिए इसे स्थानांतरित करना आवश्यक उद्देश्य के

8भारत संघ एवं अन्य बनाम प्रवीण गुप्ता और अन्य (सुप्रा)

लिए है, यानी चारदीवारी में यातायात संकुलन से राहत देना। उन परिस्थितियों में, धारा *17(4)* की शक्तियो का प्रयोग करना अनुचित नहीं कहा जा सकता।

इसी तरह, प्रश्न आवास प्रयोजन के लिए बंजर भूमि और कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण के संबंध में था।[9] यह देखा गया कि व्यक्तिपरक होने के कारण सरकार को संतुष्टि तभी होती है जब ऐसी सामग्री होती है जिस पर इसे निष्पक्ष रूप से बनाया जा सकता था, अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी और न ही तात्कालिकता के अस्तित्व को देखने के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में सामग्री की जांच करेगी। हाउसिंग बोर्ड द्वारा कमजोर वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए शहरी आवास के लिए प्रस्तावित अधिग्रहण, जहां आवास की भारी कमी है, को धारा 5-ए के तहत आपत्ति को दूर करते हुए धारा 17(4) को लागू करने के लिए एक अच्छा उद्देश्य माना गया था। इसलिए, धारा 5-ए के ऐसे आह्वान को इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था।

5. अब, इस मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह अधिग्रहण उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम के तहत तैयार किए गए मास्टर प्लान के तहत किया गया था और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की मंजूरी मिल गई और बोर्ड द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया जिसमें से 17.42 करोड़ रुपये पहले ही खर्च किए जा चुके हैं। इस दिए गए मामले में, हमारी राय है कि अधिनियम की धारा 5-ए सपाठित धारा 17(4) को लागू करना उचित था और हमें उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित

9राजस्थान हाउसिंग बोर्ड और अन्य में (सुप्रा)

आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। फलस्वरूप, खर्चे के संबंध में कोई आदेश दिए बिना अपील खारिज की जाती है।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सीमा चौहान (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।